आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
ब्लाक–बी, भूतल, इंद्रावती भवन
छत्तीसगढ़, नया रायपुर
फोन– 0771–2331317, फैक्स– 0771–2221617
ई–मेल– deshq.cg@gmail.com

क्रमांक 633/2018 /आ.सां.सं./सम.–प्रशि. रायपुर, दिनांक 15/03/2018

प्रति,

अपर संचालक/
समस्त, संयुक्त संचालक/
उप संचालक/सहायक संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कार्यकारी योजना–**(वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम)**

वर्ष 2018–19 के लिए, **संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम** संलग्न है, तदनुसार निर्धारित तकनीकी कार्यक्रम में प्रस्तावित कार्यों एवं प्रकाशनों की समयावधि का उल्लेख किया गया है। समंकों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संभाग द्वारा प्रस्तावित प्रकाशनों को नियत समयावधि में प्रकाशित किये जाने एवं निर्धारित तकनीकी कार्यों को नियत समय पर सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आयुक्त सह–संचालक द्वारा अनुमोदित)

(यू.सी.ओगरे)
संयुक्त संचालक (समन्वय)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2018–19

वर्ष 2018–19 की अवधि में संचालनालय स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

संभाग–1 प्रशासन संभाग

1.1 संचालनालय के अमले की स्थापना संबंधित समस्त कार्यो का निर्वहन करना।

1.2 संचालनालय स्तर से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करना।

1.3 सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के अतंर्गत विभाग द्वारा आवेदक को समय सीमा में जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराना ।

संभाग–2 जिला सांख्यिकी तंत्र

2.1 जिला स्तरीय प्रकाशनों को समयावधि में प्राप्त करना।
(जिला सांख्यिकी पुस्तिका एवं जनपदीय सामाजार्थिक समंक विवरणिका)
(समयावधि – 15 फरवरी, 2019)

2.2 जिलों से अर्द्धवार्षिक तकनीकी प्रगति प्रतिवेदन माह सितम्बर, 2018 तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च, 2019 प्राप्त करना तथा संबंधित अधिकारियों को टीप सम्प्रेषित करना ।
(समयावधि अक्टूबर, 2018/अप्रैल, 2019)

2.3 जिला/तहसील स्तरीय सांख्यिकी श्रृंखलाओं का प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त करना तथा संबंधित अधिकारियों को टीप सम्प्रेषित करना ।
(समयावधि, प्राप्ति पश्चात् एक माह के भीतर)

2.4 मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों का तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण हेतु वार्षिक रोस्टर वर्ष 2018–19 तैयार कर संसूचित करना तथा निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
(समयावधि – 15 फरवरी, 2019)

2.5 जिलों के विविध वार्षिक सांख्यिकी पत्रक (वाणिज्य/विक्रय कर, आबकारी, पंजीयत लिखित, अल्प बचत, दुकान स्थापना, भू–राजस्व, मुद्रांक, मुद्रण, न्याय, स्वास्थ्य समंक इत्यादि) प्राप्त कर संधारण करना तथा विभागाध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
(समयावधि – 15 अप्रेल, 2019)

2.6 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों (खण्ड स्तरीय अन्वेषकों सहित) के कार्य आवंटन आदेशों का संधारण करना तथा उपलब्ध अमले में युक्तियुक्त तरीके से कार्यान्वयन की समीक्षा कर छूटे हुये विषयों को सम्मिलित करवाना।
(समयावधि – 15 अप्रेल, 2018)

संभाग–3 सॉख्यिकी समन्वय

3.1 केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करना, प्रगति की समीक्षा कर राज्य शासन एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली को अवगत कराना।

3.2 संचालनालय की सॉख्यिकी गतिविधियों के संबंध में राज्य तथा केन्द्र शासन में समन्वय स्थापित करना एवं समय–समय पर विभाग की गतिविधियों की वांछित जानकारी शासन को प्रदाय करना।

3.3 महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, वित्त एवं विभागीय मंत्री के अभिभाषण हेतु लेख/जानकारी तैयार कर शासन को प्रदाय करना ।

(समयावधि 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं बजट सत्र पूर्व)

3.4 संचालनालय एवं जिला स्तरीय वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2018–19 तैयार कर सर्व–संबंधितों की ओर संप्रेषित करना ।

(समयावधि 25 मार्च, 2018)

3.5 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक समाचार पत्रिका के लिए वर्ष 2018–2019 के विभिन्न त्रैमासंत की जानकारी का प्रदाय।

(समयावधि जून, सितम्बर, दिसम्बर, 2018 एवं मार्च, 2019)

3.6 विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 तैयार राज्य शासन को संप्रेषित करना ।

(समयावधि जनवरी, 2019)

3.7 राज्य सॉख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना (SSSP)

वर्ष 2000 में डॉ सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक पोषित, भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत ''छत्तीसगढ़ राज्य सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना'' तैयार करने में सहयोग करना।

संभाग–4 सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण

4.1 छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के प्रकाशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों/संभागों से पत्र व्यवहार करना तथा प्राप्त जानकारी का परीनिरीक्षण, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन कार्य कर विधानसभा के बजट सत्र हेतु समयावधि में **प्रकाशन** तैयार करना । (समयावधि जनवरी, 2019)

4.2 31 मार्च, की स्थिति में 27 जिलों में स्थित समस्त शासकीय विभागों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से संकलित कर सारणीयन पश्चात् "प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना, 2017 नामक" **प्रकाशन** तैयार करना ।

(समयावधि जनवरी, 2019)

4.3 जिलेवार सामाजार्थिक विकास संकेतक – 2017–18 तैयार कर प्रकाशित करना।

(समयावधि दिसम्बर 2018)

4.4 छत्तीसगढ का सांख्यिकी संक्षेप 2017 प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित करना।

(समयावधि दिसम्बर 2018)

4.5 Gender Statistics प्रतिवेदन प्रकाशित करना ।

(समयावधि दिसम्बर 2018)

संभाग–5 प्रकाशन/पुस्तकालय

5.1 ''छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2017'' प्रकाशन तैयार करना।

(समयावधि दिसम्बर 2018)

5.2 राज्य स्तरीय प्रकाशनों के मुद्रण की व्यवस्था करना ।

5.3 प्रकाशनों के संवितरण की व्यवस्था करना ।

5.4 मूल्यवान प्रकाशनों का विक्रय की व्यवस्था करना ।

5.5 सन्दर्भ–सांख्यिकी प्रकाशनों/पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं के क्रय की व्यवस्था करना।

5.6 उपलब्ध सन्दर्भ पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं को संचालनालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य आबंटित करना ।

5.7 प्रकाशनों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना। (ई–लाईब्रेरी)

5.8 शोध छात्रों/सांख्यिकी उपयोगकर्ताओं को सांख्यिकी प्रकाशनों का प्रदाय करना।

5.9 छत्तीसगढ की शासकीय डायरी 2019 हेतु राज्य की सामान्य प्रमुख जानकारी एवं चुने हुए विषयों की जानकारी तैयार कर शासकीय मुद्रणालय को समयावधि में प्रेषित करना।

(समयावधि नवम्बर 2018)

संभाग–6 अन्य सर्वेक्षण व गणनाऐं

6.1 आर्थिक गणना :– भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई–दिल्ली के निर्देशानुसार आर्थिक गणना सम्पादित करना ।

6.2 स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सॉख्यिकी (BSLLD) (वर्ष 2012–13) संग्रहण व संकलन इत्यादि कार्य सम्पादित करना ।

6.3 अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं ।

संभाग–7 भवन एवं गृह निर्माण सॉख्यिकी

7.1 भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी, (वर्ष 2018–19) का एकत्रीकरण एवं परिनिरीक्षा पश्चात राष्ट्रीय भवन एवं गृह निर्माण संगठन नई दिल्ली की ओर ऑनलाईन संम्प्रेषित करना।

7.2 इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी निर्धारित केन्द्रो से प्राप्त कर औसत भाव की जानकारी राज्यीय आय संभाग को प्रदान करना ।

संभाग–8 राजीय आय

8.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान 2016–17(प्रावधिक), 2017–18(त्वरित) एवं 2018–19(अग्रिम) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप क्रमशः कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का तैयार करना।

(समयावधि जनवरी 2019)

8.2 जिला आय के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2018–19 (अग्रिम) का कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का तैयार करना।

(समयावधि अप्रेल 2018)

8.3 जिला आय के अनुमान तैयार करने हेतु प्रक्रियागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

संभाग–9 लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण

9.1 राज्य शासन के बजट सत्र के पूर्व वित्त विभाग से राज्य का प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2019–2020 का विवरण पत्रक प्राप्त कर ''छत्तीसगढ़ आय–व्ययक संक्षेप में'' 2019–2020 नामक प्रकाशन तैयार कर वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रदाय करना।

(समयावधि वित्त विभाग छ.ग. शासन के निर्देशानुसार)

9.2 बजट सत्र के पश्चात राज्य शासन का वार्षिक बजट वर्ष 2018–19 (सम्पूर्ण अनुदानों की मांगों) की पुस्तिकाएं वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण कर वर्ष 2016–17(लेखा), 2017–18(पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2018–19(बजट अनुमान) की आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

(समयावधि अक्टूबर 2018)

9.3 राज्य की वार्षिक बजट वर्ष 2017–18 का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2015–16 (लेखा), 2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2017–18 (बजट अनुमान) नामक प्रकाशन तैयार करना।

(समयावधि मार्च 2018)

9.4 स्थानीय नगरीय (समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) एवं ग्रामीण निकाय (समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं प्रत्येक जनपद पंचायत से चयनित ग्राम पंचायत) की वर्ष 2016–17(लेखा), 2017–18(पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2018–19(बजट अनुमान) जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर राज्य स्तरीय कम्पाइलेशन पश्चात आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

9.5 समस्त स्थानीय नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) के नियोजन एवं परिलाभ की जानकारी समस्त जिला योजना कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त करना।

(समयावधि जुलाई 2018)

9.6 राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों से वार्षिक बजट प्राप्त कर आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण कर जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

(समयावधि अक्टूबर 2018)

संभाग–10 औद्योगिक खनिज, उर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी

10.1 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 अनुसार तैयार करने हेतु चयनित औद्योगिक इकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाईन सॉफटवेयर द्वारा प्राप्त करना। चयनित औद्योगिक इकाईयों को अथेन्टीकेशन कोड जारी कर ऑन लाईन जानकारी भेजने हेतु प्रेरित करना।

10.2 आयटम बास्केट अनुसार ईकाईयों के द्वारा प्रदाय मासिक उत्पादन की जानकारी के आधार पर सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि मार्च 2018)

संभाग–11 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण संभाग

11.1 संदर्भित वित्तीय वर्ष 2016–2017 में उक्त वांछित समंक संकलन उपरांत समेकित कर प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार को भेजा जावेगा।

11.2 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर आ रही व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक कठिनाइयों के निवारण हेतु राज्य/संभाग स्तर एवं एक या दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा। जिसमें केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जावेगा।

11.3 प्रदेश में कार्यरत विद्युत वितरण कंपनी से विद्युत उत्पादन एवं खपत की मासिक जानकारी प्राप्त करना। भारतीय खान ब्यूरौ नागपुर से गौण खनिजों के उत्पादन समंक प्राप्त करना, सूत, वनस्पति तेल, शक्कर के उत्पादन समंक भारत सरकार से प्राप्त करना एवं सीमेंट उत्पादन की जानकारी प्रदेश में कार्यरत इकाइयों से प्राप्त कर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करना एवं प्रकाशन संभाग को प्रदाय करना।

संभाग–12 पूँजी निर्माण संभाग

12.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सकल स्थाई पूँजी निर्माण के अनुमान पब्लिक सेक्टर, एवं स्थानीय संस्थाओं के तैयार करने हेतु आवश्यक आंकड़ों का संकलन संग्रहण एवं सारणीयन कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

संभाग–13. बाजार समाचार

13.1 जिला कार्यालयों के माध्यम से कृषि उपज मंडियों से कृषि पदार्थो के आवक एवं थोक भाव के मासिक 'ग' पत्रक की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण करना ।

(समयावधि–प्रत्येक माह के अंतिम दिवस तक)

13.2 संचालनालय स्तर से कम से कम एक कृषि उपज मंडी का निरीक्षण सुनिश्चित करना।

13.3 छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन वर्ष 2017–18 का प्रकाशन तैयार करना ।

(समयावधि दिसम्बर, 2019)

13.4 कृषि पदार्थो के थोक भाव वर्ष 2017–18 की जानकारी माह दिसम्बर, 2019 तक राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना ।

संभाग–14 जीवनांक संभाग

14.1 राज्य स्तरीय मासिक जीवनांक प्रतिवेदन का निगरानी करना।

(समयावधि प्रतिमाह 10 तारीख तक)

14.2 वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2017 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार नई दिल्ली को प्रेषित करना । (समयावधि जुलाई, 2018)

14.3 प्रत्येक जिले के न्यूनतम् दस– ग्रामीण एवं दस– नगरीय/संस्थागत इकाईयों का निरीक्षण संचालनालय के अधिकारियो द्वारा किया जाना एवं सुझाव/टीप के पश्चात् निरीक्षण टीप प्रस्तुत करना । (समयावधि मासिक)

14.4 जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा किए गए निरीक्षणों का परीक्षण जीवनांक के अधिकारियो द्वारा किया जाना। (समयावधि प्रतिमाह)

14.5 जीवनांक प्रपत्रों का मुद्रण एवं जिलों को आवश्यकतानुसार आपूर्ति करना।

14.6 राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित करना।

14.7 वर्ष 2018 तक में शत–प्रतिशत पंजीयन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयास करना ।

14.8 जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 तैयार कर महारजिस्ट्रार नई दिल्ली को प्रेषित करना । (समयावधि जुलाई, 2018) 14.
9 जीवनांक पंजीयन इकाईयों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना ।

14.10 वर्ष 2008 से पूर्व विधिक भाग के स्केनिंग/फोटो फिल्मिंग करवाने की कार्यवाही करना।

14.11 भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशानुसार जनवरी 2018 से परिशिष्ट 5 में समस्त जिलों के पंजीकृत जन्म/ मृत्यु/शिशु–मृत्यु/मृत–जन्म/मातृत्व मृत्यु दर की जानकारी एकजाई कर महारजिस्ट्रार नई दिल्ली को को प्रेषित करना।
(समयावधि प्रत्येक माह के 15 तारीख तक)

14.12 संशोधित प्रपत्र 11, 12 एवं 13 के संबंध में जिलों एवं समस्त पंजीयन इकाईयों को प्रशिक्षित करना। (समयावधि अप्रैल, 2018)

14.13 जीवनांक कार्य में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को नियम/अधिनियम पर प्रशिक्षण एवं चिकित्सको एवं कोडकर्ताओं को ICD–10 तथा मृत्यु के कारणों से संबंधित प्रपत्रों की प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना ।

संभाग–15 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संभाग

15.1 75 वें दौर का क्षेत्रीय कार्यक्रम संपन्न करवाना ।
(समयावधि जून–2018)

15.2 76 वें दौर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चारों रा.प्र.स. इकाइयों के सहायक .सांख्यिकी अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाना ।

15.3 76 वें दौर के नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिदर्शों का कार्याबंटन करना एवं प्रपत्र प्रदाय . कर क्षेत्रीय कार्य आरंभ करना। (समयावधि जुलाई–2018)

15.4 76 वें दौर में आबंटित प्रथम एवं द्वितीय उपदौर के क्षेत्रीय कार्य को समयावधि में पूर्ण . करवाना । (समयावधि दिसंबर–2018)

15.5 76 वें दौर के भरी हुई अनुसूचियों की प्रत्येक त्रैमास में परिनिरीक्षा कार्यशाला
. आयोजित कर आदर्श परिनिरीक्षा करना ।

15.6 केन्द्र शासन को मासिक प्रगति प्रतिवेदन संप्रेषित करना।
(प्रतिमाह 5 तारीख)

15.7 प्रतिमाह 5 प्रतिशत प्रतिदर्शों का संचालनालय स्तर से आकस्मिक निरीक्षण करना।

15.8 73 वें दौर के प्रतिदर्शों की परिनिरीक्षा एवं डाटा एंट्री कार्य पूर्ण करना।
(समयावधि–मार्च–2018)

15.9 74 वें दौर के प्रतिदर्शों की परिनिरीक्षा एवं डाटा एंट्री कार्य पूर्ण करना।
(समयावधि मार्च–2019)

15.10 रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण, का निर्देशानूसार, क्षेत्रीय कार्य सम्पादित करना ।

संभाग –16 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना

16.1 विभागाध्यक्षों से 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना परीनिरीक्षण एवं उसका संधारण पश्चात भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्याक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय को भेजना।

16.2 मान. उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाना।

संभाग –17 कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

(अ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

17.1 मंत्रालय के साथ समन्वय और राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति का वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना।

17.2 डिविजनल कमिश्नर को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और जिला प्राधिकारियों को मार्गदर्शन करने हेतु शक्तियां प्रदान करना।

17.3 जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा।

17.4 जिला प्राधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना।

17.5 जिला प्राधिकारियों के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रबंध करना।

17.6 उपसचिव/कार्यपालक इंजीनियर पद के समकक्ष के अधिकारियों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करना।

17.7 महालेखाकार के परामर्श, प्रत्येक जिला प्राधिकारी के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा नियुक्त करना।

17.8 राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन संबंधी डाटा अपनी वेबसाईट पर डालना।

17.9 राज्यसभा के संसद सदस्यों के अव्ययित शेष का योजना के मार्गदर्शिका पैरा 4.8 में निर्धारित किए गए अनुसार वितरण करना।

17.10 नोडल जिलों से अनुबंध–6, 1993–94 से 2017–18 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्य सभा सदस्यवार मासिक जानकारी प्राप्त कर कम्पाईलेशन एवं परीनिरीक्षण कर प्रतिमाह कम्प्यूटर में अद्यतन करना।

17.11 संचालनालय द्वारा निर्धारित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र–अ,ब एवं स वर्ष 1993–94 से 2017–18 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा सदस्यवार जानकारी समस्त जिलों से प्रतिमाह प्राप्त करना एवं कम्पाईलेशन, परीनिरीक्षण कर कम्प्यूटर में संधारित करना तथा छ.ग. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को प्रतिमाह भेजना।

17.12 लोकसभा/राज्यसभा के तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजना।

(ब) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

17.13 जिले के नोडल अधिकारी से योजना के प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विधानसभा क्षेत्रवार कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर संधारित करना।

17.14 विधानसभावार जानकारी का परीक्षण प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पूर्ण कर वर्षवार जिलेवार मांग संख्यावार जानकारी संधारित करना तथा समय–समय पर समीक्षा बैठकों हेतु जानकारी तैयार करना।

17.15 विधानसभा के मानसून, शीतकालीन एवं बजट सत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तैयार कर शासन को प्रेषित करना।

17.16 बजट कटौत्री प्रस्ताव तैयार करना।

17.17 लेखाधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन को आयोजना एवं आयोजनेत्तर के अंतर्गत प्राप्त बजट, जिलों को आबंटित करना। राशि के समर्पण एवं अतिरिक्त राशि हेतु शासन से पत्र व्यवहार करना। योजनान्तर्गत राशि के अंकेक्षण के संबंध में कार्यवाही करना।

17.18 योजना के मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन में कठिनाई होने पर जिले द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के उत्तर समय–सीमा में भेजना।

17.19 जिले द्वारा स्वीकृत कार्यों का मॉनिटरिंग करना।

17.20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधायकों द्वारा कराये जा सकने वाले कार्यों पर शासन की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण तैयार कर प्रेषित करना।

संभाग –18 <u>सांख्यिकी प्रशिक्षण संभाग</u>

18.1 राज्य शासन के अन्य विभागों में कार्यरत सॉख्यिकी अमले को सांख्यिकी कार्य संपादन में अपनाई जा रही विभिन्न सॉख्यिकी गतिविधियों यथा– सांख्यिकी संकलन, सारणीयन एवं प्रतिवेदन तैयार करने आदि कार्यो में एकरूपता लाने के उद्देश्य से समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना ।

18.2 केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण सत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन कर, प्रशिक्षण में भेजना।

18.3 संचालनालय एवं जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार विविध विभागीय प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

संभाग – 19 सूचना एवं प्रौद्योगिकी संभाग

19.1 संचालनालय की वेबसाइट एवं अन्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का अपडेट एवं अनुरक्षण का कार्य।

19.2 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना, स्थानीय स्तर विकास के लिए मूलभूत सांख्यिकी, वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी एवं अन्य सर्वे, गणना तथा रिर्पोट आदि के आंकड़ों का सारणीयन।

19.3 संचालनालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कम्प्युटर संबंधित विशिष्ट कार्यो का सम्पादन।

19.4 संचालनालय के प्रकाशनों को आकर्षक रूप से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।

संचालनालय के द्वारा वित्तिय वर्ष 2018–19 के दौरान, संभागवार निर्धारित प्रकाशन :–

संभाग	स.क्र.	विषय	वर्ष	समय सीमा
4–सामाजार्थिक विश्लेषण	1	छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण	2018–19	जनवरी, 2019
	2	प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना	31 मार्च 2017	जनवरी, 2019
	3	Gender Statistics प्रतिवेदन	.	
	4	राज्य के जिलेवार सामाजार्थिक विकास संकेतांक	2010	
	5	छत्तीसगढ़ सॉख्यिकी संक्षेप	2017	दिसम्बर, 2018
5–प्रकाशन	6	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2017	2017	दिसम्बर, 2018
8–राज्यीय आय	7	राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान	2011–12 से 2017–18 (अग्रिम)	अपैल, 2018
9–बजट विश्लेषण	8	आय –व्ययक संक्षेप में	2018–2019	वित्त विभाग के निर्देशानुसार
	9	राज्य शासन के वार्षिक बजट का आर्थिक एवं उद्‌देश्यवार वर्गीकरण	2017–2018	मार्च, 2018
11–पूॅजी निर्माण	10	राज्य में पूॅजी निर्माण के अनुमान (पब्लिक सेक्टर एवं स्थानीय संस्थाओं)	2011–12 से 2015–16	अगस्त, 2018
	11	राज्य में पूॅजी निर्माण के अनुमान डी.सी.यू. एवं एन.डी.सी.यू.	2009–10	जनवरी, 2018
12–बाजार समाचार	13	राज्य में कृषि विपणन	2011–12	दिसम्बर, 2018
13–जीवनांक	14	मृत्युओं के कारणों की आकृति–प्रतिवेदन	2005 से 2009	
14–राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	15	63वें दौर के परिणामों का विश्लेषण अध्ययन		दिसम्बर, 2018